निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 125/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अंजना बडेरा धर्मपत्नी श्री राकेश बडेरा जाति महाजन खण्डेलवाल, हाल निवासी फ्लाट नम्बर 445, विद्युतनगर –ए, अजमेर रोड जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री अरशदीप बराड आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर, जयपुर प्रथम ।

2 श्रीमती आशा खण्डेलवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी डी–282/ए, तुलसी मार्ग, वनीपार्क, जयपुर ।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 ब उनवानी अंजना बडेरा बनाम आशा खण्डेलवाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रसाद कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विनोद कुमार माथुर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 08.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 ब उनवानी अंजना बडेरा बनाम आशा खण्डेलवाल व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 02 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार माथुर ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व लिखित बहस पेश की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया ने एक वाद बाबत घोषणा, तकास्मा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को अप्रार्थी संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 2 ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये तहसीलदार सांगानेर के साथ मिलीभगत कर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

एक आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 के पति ओम प्रकाश खण्डेलवाल से प्राप्त कर उक्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया। जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया के वाद संख्या 71/2016 को बिना विधिक प्रकिया अपनाये आदेश 7 नियम 11 सी॰पी॰सी॰ के तहत वाद पत्र को बार्ड बाई लॉ मानते हुये खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 27.03.2019 की अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अवहेलना करने पर प्रार्थिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलटर जयपुर प्रथम के समक्ष एक आवेदन आदेश 39 नियम 2 ए, सपिठत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थिया ने विधिवत रुप से अपने साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिये । पत्रावली वास्ते प्रर्थिया की जिरह हेतु नियत चल रही है, परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2021 को प्रार्थिया के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के पति श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल व उसके अधिवक्ता को जिरह हेतु समय चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2021 की तारीख नियत की । दिनांक 11.08.2021 को भी जिरह नहीं करने पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.08.2021 को नियत की गई, परन्तु दिनांक 12.08.2021 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पति श्री ओम प्रकाश खण्डेवाल को न्यायालय में यह कहा कि आप अपने अधिवक्ता से उक्त पत्रावली के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत करावें, जिससे उक्त विचाराधीन अवमानना प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जा सके। तत्पश्चात अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने आवेदन प्रस्तुत किया और पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थिया से जिरह करने के बजाय यह कहा कि उक्त आवेदन धारा 151 पर आप बहस करें, जिससे उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जा सकें । प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में समुचित निवेदन करने के पश्चात आगामी तारीख पेशी 17.08.2021 दी गई और न्यायालय द्वारा यह जाहिर किया गया कि उक्त आवेदन में आप आवेदन 151 जाब्ता दीवानी पर बहस करें । अप्रार्थी संख्या 2 के पति श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल द्वारा न्यायालय के बाहर आकर यह स्पष्ट धमकी दी गई कि या तो उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र को आप विड्रो करें, अन्यथा पीठासीन अधिकारी से मेरी बहुत अच्छी जानकारी है, इन्हीं से मैं आपके दावे को खारिज करा चुका हूँ और इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही है। प्रार्थिया महिला काश्तकार है और अप्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थिया के वाद को खारिज करवा दिया और पूर्व में प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र को भी खारिज करवा देंगे, तो वह अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थिया के मुकदमें को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र गुप्त एवं ULTERIOR प्रयोजन से मिथ्या और गलत आधारों पर पेश किया गया है। प्रार्थिया अंजना बडेरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व से विचाराधीन मूल वाद संख्या 71/2016 में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 27.03.2019 को बिना किसी पर्याप्त आधार के पक्षकारों के मध्य गम्भीर मतभेद है, को ग्राउण्ड लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था, जिसको माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को निरस्त कर दिया गया है, इसके पश्चात प्रार्थिया द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी याचिका के जरिये चुनौती दी गई थी जो दिनांक 16.102.2021 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.03.2019 निरस्त हो चुका है इसके बावजूद प्रार्थिया श्रीमती अंजना बडेरा ने अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की अवमानना मानते हुए प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 पेश कर दिया जो आदेश 39 नियम 2ए सी.पी.सी. 1908 के अन्तर्गत पेश कर अवांछित तथा अवैधानिक अनुतोष की मांग उठा कर कानून का दुरूपयोग करने पर आमादा है जिसका उसे कतई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने वाद की प्रकिया के दौरान तथा अन्तरिम आदेश दिनांक 27.03.2019 की अविधि मान्यता देखते हुए जिसे मान्य राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 13.08.2021 को अपखण्डित कर दिया था । सर्व प्रथम मुख्य प्रश्न जो अप्रार्थिया ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उठाया था, का पूर्ण एवं व्यापक परीक्षण कर मूल राजस्व वाद संख्या 71/2016 को वादी श्रीमती अंजना वडेरा को LOCUS STANDI नही होना माना और CAUSE OF ACTION प्राप्त नहीं होना पाया है और मूल वाद को ही दिनांक 13.01.2021 को निरस्त कर दिया। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तरित आदेश दिनांक 27.03.2021 को खारिज हो चुका तथा तदन्तर्गत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए दोनों ही अवांछित हो कर INFRUCTOUS निरस्त है। तथाकथित अवमानना प्रार्थना पत्र कतई मेन्टेबल नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम की पीठासीन अधिकारी की सत्य निष्ठा और न्यायशीलता की सीधी मानहानि करते करते हुए प्रार्थिया श्रीमती अंजना बडेरा ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के द्वारा अप्रार्थिया के पति श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल जो कि फर्म मैसर्स विशाल फामर्स के प्रतिष्ठित साझेदार है, को माध्यम बना कर झूंठा मिथ्या आधारों वाला गम्भीर आरोपन किया है। यह प्रार्थना पत्र एक सत्य निष्ठा और ईमानदार अधिकारी की सामान्य प्रतिष्ठा को प्रश्नांकित करता है जो खारिज किये जाने योग्य है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में प्रार्थिया ने जो वैद्यानिक अधिकारीगण तहसीलदार सांगानेर के विरूद्व मिलीभगत कर नामान्तरकरण कराने का जो झूंठा आरोप लगाया है तथा सहायक कलक्टर महोदया पर भी पक्षपात पूर्ण निर्णय कर मूल वाद को अप्रार्थिया के पति ओम प्रकाश खण्डेलवाल के साथ मिलीभगत कर मूल वाद 7–11 में खारिज करने का झूंठा आरोप लगाया है। दोनों आरोप गम्भीर आपत्तिजनक है तथा सिविल वाद 356/2020 दिनांक 16.10.2021 मान्य न्यायाधीश वाणिज्यक न्यायालय प्रथम जयपुर मे भी इन्ही आधार पर निरस्त व खारिज किया है तो प्रार्थिया के झूंठ पर आधारित प्रार्थना पत्र को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का कोई कारण शेष नही रह जाता है। तर्को के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त बन्शीधर बनाम राज बिहारी 2008 (1) RRT 455, नारायण दास बनाम फागू 1975 RRD-70, मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 198 RLR, 1984 RRD 501 राधेलाल बनाम बसन्त लाल 1986 RRD -18 शिवलाल बनाम उदयराम 1985 RRD (NVC)-7 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NUC) 61 जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 RRD III अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थिया के आरोपों का खण्डन करते हुये कथन किया है कि प्रार्थिया अंजना बडेरा ने अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की अवमानना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 पेश किया है जो विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा जिरह के लिए प्रार्थिया को अवसर दिया गया है। साक्ष्य प्रकिया के चलते प्रार्थना पत्र धारा 151 सी॰पी॰सी॰ प्रस्तुत होने पर पहले 151 सी॰पी॰सी॰ का निस्तारण करने के लिए नकल दी जाकर विधिक प्रकिया अनुसार जबाब बहस हेतु नियत की गई है। प्रार्थिया ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम का प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

08/03/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर